भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 891

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष योजनाएं

891. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार आयुष्मान कार्ड की सुविधा में सुधार करके देश के प्रत्येक निजी अस्पताल को इस कार्ड हेतु सुविधा देने के लिए शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में आयुष मंत्रालय से संबंधित योजनाएं लागू की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की शुरुआत और समापन की तारीख क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में मंत्रालय की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में मंत्रालय से संबंधित भविष्य में लागू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है जो 30000 से अधिक सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इसके अलावा, जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, पीएम-जेएवाई के तहत अस्पतालों को पैनल करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। साथ ही, यह ध्यान देने योग्य है कि अस्पताल को पैनल करना एक सतत प्रक्रिया है और किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की आवश्यकताओं और उपलब्धता के आधार पर किया जाता है जो एबी पीएम-जेएवाई मानदंडों को पूरा करते हैं। इसलिए, अस्पतालों को पैनल करने के संबंध में कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है।

(ग) से (च): आयुष मंत्रालय दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि समुदाय में आयुष सेवाओं की बेहतर पहुँच के लिए एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न

गतिविधियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके आयुष चिकित्सा पद्धतियों के समग्र विकास और संवर्धन किया जा सके। मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान किया गया है:

i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का संचालन जिसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का नाम दिया गया है।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति।
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
ix. आयुष स्नातकपूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव से एसएएपी से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, एसएएपी की विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान 408.45 लाख रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक एनएएम को जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है।

*****